न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 300/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. हीराराम पुत्र रणीताराम विश्नोई 2. कुशलाराम 3. तुलछाराम 4. हरूराम 5. बरसिंगाराम 6. शैतानराम 7. बाबूराम पुत्रान नारायणराम 8. भरमलराम 9. सोहनराम पुत्रान मंगलाराम 10. मोहनीदेवी पत्नी बरसिंगाराम 11. भगवानाराम 12. हरीराम 13. अशोक 14. पारसराम पुत्रान माणकराम 15. हडमानराम पुत्र तेजाराम 16. धन्नी पत्नि हडमानराम 17. मोहनलाल पुत्र खमुराम अपीलार्थी संख्या 2 से 17 निवासी–हाल ग्राम पलीना तहसील लोहावट जिला जोधपुर।		01–किसनी पुत्री स्व0 धनाराम पत्नी श्री हरीराम जाति विश्नोई निवासी नोसर तहसील औसिया 02–नैनी पुत्री स्व0 धनाराम पत्नी श्री रामलाल जाति विश्नोई निवासी पांचला तहसील खींवसर जिला नागौर 03–झमकु पुत्री स्व0 धनाराम के का0मु0 03/1 रामरख पुत्र श्री खेराजराम 03/2 मोमराज पुत्र श्री खेराजराम 03/3 किसनी पुत्री श्री खेराजराम 03/4 दोपी पुत्री खेराजराम सभी जाति विश्नोई निवासी भाखरी तहसील औसिया 04–तेजाराम पुत्र श्री सुरजराम के का0मु0 4.1 श्रीमती बरजू पत्नी स्व.श्री तेजाराम 4/2 हनुमानराम पुत्र स्व0 श्री तेजाराम 4/3 पांचाराम पुत्र स्व0 श्री तेजाराम 4/4 किशनाराम पुत्र स्व0 श्री तेजाराम 4/5 गोपीराम पुत्र स्व0 श्री तेजाराम 4/6 पप्पूराम पुत्र स्व0 श्री तेजाराम 4/7 शायरी पुत्री स्व0 श्री तेजाराम 4/8 शान्ति पुत्री स्व0 श्री तेजाराम 4/9 रामप्यारी पुत्री स्व0 श्री तेजाराम 05–लाखाराम पुत्र श्री सुरजनराम के का0मु0 5/1 हरीराम पुत्र स्व0 श्री माणकराम 5/2 भगवानाराम पुत्र श्री माणकराम 5/3 आशाराम पुत्र स्व0 श्री माणकराम 5/4 पारसराम पुत्र स्व0 श्री माणकराम 5/5 खेताराम पुत्र स्व0 श्री लाखाराम 5/6 सहीराम पुत्र स्व0 श्री लाखाराम 5/7 गोपालराम पुत्र स्व0श्री लाखाराम 5/8 श्रीमती बगतू पत्नी श्री लाखाराम सभी जाति बिश्नोई निवासी ग्राम पलीना तहसील फलोदी जिला जोधपुर 06–हीरकनराम पुत्र श्री सुरजनराम 07– भाखरराम पुत्र श्री सुरजनराम फौत के का0मु0 7/1 मांगीलाल पुत्र स्व0श्री भाखरराम 7/2 भंवरलाल पुत्र स्व0श्री भाखरराम

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

		7/3 गोमती पत्नी स्व0श्री भाखरराम –फौत के का0मु 7/3/1 भीखा पुत्री स्व0 श्री भाखरराम पत्नी श्री नारायणराम जाति विश्नोई निवासी धोलासर तहसील फलोदी 7/3/2 एलची पुत्री स्व0 श्री भाखरराम पत्नी श्री हनुमानराम जाति विश्नोई निवासी मूलराज–डाबर, लोहावट तहसील लोहावट जिला जोधपुर 7/3/3 स्वरूपी पुत्री स्व0 श्री भाखरराम पत्नी श्री सोहनपाल सिंह जाति बिश्नोई निवासी धोलासर तहसील फलौदी 08 घमूराम पुत्र नारायणराम प्रत्यर्थी संख्या 1से 08 जाति विश्नोई निवासी पलीना तहसील लोहावट जिला जोधुपर 09–राज.राज्य द्वारा तहसीलदार लोहावट

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.11.2015 जो रिमाण्ड प्रकरण संख्या 74/1987 अनवान किसनी बनाम चुनी वगैरा मे श्री तहसीलदार फलोदी द्वारा पारित किया गया।

1– श्री लक्ष्मण विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री हुकमाराम, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1,3 की ओर से ।
3– श्री किसनाराम, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2,5,7 की ओर से ।
4– श्री उम्मेदसिंह बावरला, श्री रमेश भादू, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4,6 की ओर से।
2– रेस्पो0 संख्या 8, 9,10 बावजूद नोटिस तामीली/सूचना के अनुपस्थित
3– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 11 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12–08–2022

अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 धना पुत्र समेल अकेले की खातेदारी की भूमि ग्राम पलीना में ख0 न0 105 रकबा 322 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 104 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, ख0न0 61 रकबा 4 बीघा कुल रकबा 327 बीघा 14 बिस्वा तथा ख0न0 763 रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 321 रकबा 201 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 324

रकबा 20 बीघा, कुल रकबा 269 बीघा 12 बिस्वा मे धन्ना पुत्र समेला की 1/4 हिस्से की खातेदारी की थी तथा ख0न. 63 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 98 रकबा 61 बीघा 7 बिस्वा, कुल रकबा 90 बीघा 3 बिस्वा मे धना पुत्र समेला का 1/2 हिस्सा खातेदारी मे था। इसके बाद खातेदार धन्ना का संवत 2021 में देहान्त हो गया तथा धन्ना के देहान्त उपरान्त उपरोक्त भूमि का फौतेदगी नामा. संख्या 126 दिनांक 20.11.1965 को धन्ना की धर्मपत्नी श्रीमती चुनी के नाम दर्ज किया गया तथा श्रीमती चुनी काबिज खातेदार काश्तकार हो गयी।

वकील अपीलांटस ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 किसनी ने दिनांक 24.10.1979 उपरोक्त नामा. संख्या 126 के पारित होने के 14 वर्ष पश्चात विद्वान उपखण्ड अधिकारी फलोदी के न्यायालय मे प्रथम अपील संख्या 43/1979 प्रस्तुत की। जिसका निर्णय दिनांक 02.09.1986 मामला तहसीलदार फलोदी को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश दे दिया।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि मामला तहसीलदार फलौदी को प्रतिप्रेषित होने के पश्चात विद्वान तहसीलदार ने दिनांक 30.12.1997 को प्रकरण को दर्ज किया जिसके नोटिस मिलने पर अपीलार्थी हीराराम, कुशलाराम, तुलछा ने जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया था कि मृतक खातेदार धनाराम की एकमात्र उत्तराधिकारी उसकी विधवा श्रीमती चुनी थी, धना के बाद चुनी भूमि पर काबिज होने व रेवेन्यू रेकर्ड में खातेदार दर्ज हो गई तथा किसनी, नैनी, व झमकू की शादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पूर्व हो गई तथा उनको चल सम्पति दे दी गई, ऐसे में उनका अचल सम्पति में हिस्सा नहीं रखा गया, इसलिये उनका उक्त भूमि पर कोई कब्जा/हक नहीं है तथा श्रीमती चुनी के द्वारा विभिन्न तारीखों में उक्त खसरान की भूमि में से अपने गुजारे के लिये तृतीय पक्ष को बेचान कर दी गई। उक्त बेचान के दस्तावेज पंजीबद्ध हो रखे है जिनको निरस्त करवाये बिना अपनी माता के द्वारा किये गये बेचाननामों से उनकी पुत्रिया पाबन्द है तथा बेचाननामा प्रभाव में रहते प्रश्नगत भूमि में कोई हक–अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। इसलिये जॉच निरर्थक होने से समाप्त की जावे तथा नामा0 संख्या 126 को यथावत कायम रखा जावें।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि श्रीमती चुन्नी ने दिनांक 12.4.77 को ख0सं0 105 में से 100 बीघा भूमि अपीलार्थी संख्या 2 को तथा 100 बीघा भूमि अपीलान्ट संख्या 3 व घमूराम को तथा दिनांक 10.9.79 को ख0सं0 63 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा व ख0सं0 98 में से 16.05 बीघा भूमि को अपीलान्ट संख्या एक को तथा दिनांक 1.2.80 को ख0सं0 105 में से 50 बीघा भूमि अपीलार्थी भारमल को तथा 20.00 बीघा भूमि अपीलार्थी सोहनराम को, दिनांक 22.8.89

अति० उपखण्ड अधिकारी
फलोदी

को ख0सं0 105 की 42 बीघा व ख0सं0 104 की 01.06 बीघा भूमि अपीलार्थी संख्या 11 से 14 के पिता माणकराम को तथा दिनांक 8.4.84 को ख0सं0 763 का 1/4 हिस्सा अपीलार्थी मोहनलाल को पंजीबद्ध दस्तावेज के जरिये बेचान कर कब्जा सौंप दिया गया। उक्त बेचाननामों के आधार पर खरीददारान के नाम नामान्तरकरण होकर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त कार्यवाही प्रतिप्रेषित होने के बाद तहसीलदार फलौदी ने तारीख पेशी 7.9.1989 तक कार्यवाही चलाई उसके बाद पत्रावली में कार्यवाही को बन्द रखा तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भी जानबूझकर कोई कार्यवाही नहीं की तथा उक्त कार्यवाही 23 वर्ष तक बंद रखी। वर्ष 2006 में श्रीमती चुनी का देहान्त होने के बाद भूमि का विक्रय करने के बाद रेस्पो0 संख्या एक ने दिनांक 19.6.12 को आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिनके नोटिस अपीलान्टस के वकुलान को व अपीलार्थीगण को नहीं दिये तथा बिना सुनवाई व सूचना का बिना नोटिस दिये ही तहसीलदार फलौदी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2015 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ये यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ अदालत तहसीलदार फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2015 एवं उसके परिणाम स्वरूप दर्ज किये गये समस्त नामा0 न्याय, नियम के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं क्योंकि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के खरीददार यानि अपीलार्थीगण को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई व सूचना का नोटिस नहीं दिया न अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थी हीराराम, तुलछाराम, सोहनलाल ने अभिभाषक नियुक्त कर विस्तृत जवाब पेश किया परन्तु तहसीलदार फलौदी ने 23 वर्ष पश्चात पुनः कार्यवाही प्रभाव में लाने के समय अभिभाषक अपीलार्थी को उक्त कार्यवाही की सुनवाई का नोटिस नहीं दिया गया ऐसें वर्तमान अपीलार्थी/उनके अभिभाषक को बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त करने योग्य हैं।

इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 की माता श्रीमती चुनी ने उक्त भूमि में से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के पूर्ण कीमत लेकर अपीलार्थी एवं अन्य व्यक्तियों को हस्तानान्तरण कर दिया, श्रीमती चुनी के द्वारा भूमि का बेचान करने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 ने आज तक उक्त बेचान पर कोई एतराज नहीं किया, जो चुनी के बेचाननामों से पाबन्द है तथा उक्त निष्पादित बेचाननामों को रद्द करवाये बिना, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को भूमि पर कोई हक–अधिकार नहीं बन सकते है, इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 के माता ने कृषि भूमि की कीमत लेकर तृतीय पक्ष को कब्जा दे दिया गया था। उक्त भूमि के हुए बेचान के अनुसार अपीलार्थीगण को खातेदारी

अधिकार प्राप्त होने के 12 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है तथा कब्जा प्राप्ति की म्याद पूर्व से चली गई है। इस कारण अपीलाधीन कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

वकील अपीलांट ने अन्य में यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हुई अपीलाधीन कार्यवाही सद्भाविक नहीं है तथा उनकी माता श्रीमती चुनी द्वारा भूमि की कीमत लेकर तृतीय पक्षकार को बेचान किया गया, तब तक कोई भी उज्र एतराज नहीं किया गया तथा श्रीमती चुनी के द्वारा भूमि का बेचान करने बाद सद्भाविक खरीददार को बिना वजह हेरान– परेशान करने के लिये अपीलाधीन कार्यवाही की है। उक्त कार्यवाही पर खरीददारान का नाम हटाने के आदेश कतई विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार की जावे एवं तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2015 को तथा उसके परिणामस्वरूप दर्ज किये गये नामा0 एवं समस्त कार्यवाही को निरस्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें तथा नामा0 संख्या 126 ग्राम पलीना दिनांक 20.11.1965 को यथावत बहाल रखा जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार धन्नाराम के उनकी पत्नि चुनी के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी तीन पुत्रिया क्रमशः किसनी, नैनी, झमकू भी थी। श्रीमती चुनी पत्नि धन्ना और झमकू तथा भाखराराम का देहान्त हो चुका है। श्री धन्नाराम के देहान्त उपरान्त विरासत नामा0 संख्या 126 ग्राम पलीना उनकी पत्नि चुनी के नाम स्वीकृत हुआ।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ताओं ने यह कथन किया कि उक्त नामा0 संख्या 126 के विरूद्ध एक प्रथम अपील संख्या 43/79 अनवान किसनी बनाम चुनी वगैराह उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रस्तुत हुई जो स्वीकार होकर विरासत नामा0 संख्या 126 को निरस्त करते हुए खातेदार धन्ना पुत्र समेला के वारिसान की पूर्ण जॉच कर पुनः नामा0 की कार्यवाही करने के आदेश तहसीलदार फलौदी को दिये जाने पर तहसीलदार फलौदी के द्वारा प्रकरण संख्या 74/87 किसनी बनाम चुनी वगैराह दर्ज करते हुए पक्षकारान को सुनवाई का नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात रेकर्ड का अवलोकन करने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 24.11.2015 के द्वारा स्व0 धन्ना पुत्र समेला के देहान्त उपरान्त स्वीकृत नामा0 संख्या 126 के पूर्व की रेकर्ड स्थिति के परिप्रेक्ष्य में नवीन विरासत का नाम दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित किया कि गलत बटटा नम्बरान से अलग–अलग खातों में अंकित रकबा की भूमि मूल खसरा एवं मूल रकबा में बरामद कर प्रार्थीया किसीनी, अप्रार्थीया संख्या 2 नैनी, अप्रार्थीगण संख्या 3/1 से 3/4 के नाम

नामा0 में अंकित कर एवं चुनी पत्नि धन्ना के द्वारा अपने हिस्से से अधिक किये गये विक्रय के बाद केता खातेदार के नाम चुनी के हिस्से तक विक्रय अनुसार नामान्तरकरण खोला जावें। रेस्पो0 संख्या एक किसनी के द्वारा प्रस्तुत की गई अपील एवं अपील में पारित रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार फलौदी के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो पूर्ण रूप से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार एवं श्रीमती चुनी के द्वारा उनके हक–हिस्से तक बेची/विक्रय की गई भूमि के अनुसार नामा0 दर्ज करने के जो आदेश दिया गया है और उसके अनुसार स्वीकृत हुए नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो गया है, वो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ताओं ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई है वह पूर्ण रूप से सारहीन है क्योंकि रेस्पो0 के द्वारा अपने पिता की खातेदारी भूमि में से उनकी पुत्रीयां होने के नाते अपने हक–हिस्से की भूमि प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के समक्ष अपील की थी, श्रीमान उपखण्ड अधिकारी फलौदी ने रेस्पो0 की ओर से पेश अपील को स्वीकार करने योग्य मानते हुए ही अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार फलौदी को आदेश पारित किया गया था। अगर स्व0 धन्ना के देहान्त उपरान्त स्वीकृत विरासत के नामा0 संख्या 126 में अंकित वादग्रस्त भूमि में से उनकी माता चुनी की ओर से अपीलार्थीगण को और अन्य व्यक्तियों को माता चुनी के हक–हिस्से से ज्यादा का बेचान होकर भूमि क्रय की है तो उसके लिये रेस्पोडेन्टस यानि उनकी पुत्रियॉ के बंट में आ रही भूमि को खरीदना ही नहीं था। क्योंकि रेस्पोडेन्टस के हक–हिस्से वाली भूमि का बेचान करने का कोई अधिकार अकेले माता चुनी को था ही नहीं। इन हुए बेचानों के सम्बन्ध में रेस्पो0 कतई जिम्मेवार नहीं थी। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की प्रथम अपील को अस्वीकार किया जावे एवं तहसीलदार फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 24.11.2015 को यथावत बहाल रखा जावें।

रेस्पो0 संख्या 11 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसान के बराबर–बराबर हक–हिस्से निर्धारित करते हुए आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुकूल उचित है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत बताते हुए अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलौदी के द्वारा पारित

अति० उपखण्ड अधिकारी
फलौदी

किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी फलौदी के द्वारा प्रथम अपील संख्या 43/1979 को दिनांक 02.09.1986 को स्वीकार करते हुए दिये गये निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार फलौदी ने रिमाण्ड प्रकरण संख्या 74/1987 दर्ज किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा प्रथम अपील में दिये गये निर्देशों यानि मृतक खातेदार धनाराम के वारिसान की पूर्ण जॉच करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके कम में उनके द्वारा निष्कर्ष में धन्ना पुत्र समेला के देहान्त के समय उनकी 03 पुत्रियां कमशः 1 किसनी, 2 नैनी, 3 झमकू और 4 चुनी प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी व वारिस थी और धन्ना का हिस्सा चारों ही वारिसान को विरासत में प्राप्त हुआ। चुनी पत्नी धना और झमकू और अप्रार्थी संख्या 7 भाखरराम का देहान्त हो जाने, चुनी के द्वारा अपने जीवनकाल मे ही पुत्रियों सहित हिस्सा विकय कर देने से चुनी का नाम विलोपित किया तथा झमकू व भाखरराम के वारिसान रेकर्ड पर है।

ग्राम पलीना के खारिज विरासत के नामा0 संख्या 126 के पूर्व के रेकर्ड की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में नवीन विरासत नामा0 दर्ज करने के सम्बन्ध में गलत बटटा नम्बरान से अलग–अलग खातों में अंकित रकबा की भूमि मूल खसरा एवं मूल रकबा में बरामद कर रेस्पो0 किसनी, नैनी व झमकू के उत्तराधिकारीगण के नाम अंकित कर चुनी पत्नी धना के द्वारा अपने हिस्से से अधिक किये विकय के बाद केता खातेदार के नाम चुनी के हिस्से तक विकय एवं नामान्तरकरण खोले जाने हेतु पटवारी हल्का को निर्देश दिये गये है।

अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश एवं संस्थित मूल रिमाण्ड पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया जिससे यह प्रकट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण वर्ष 1987 में दर्ज हुआ तथा पटवारी को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु एवं अपीलान्टस व रेस्पो0 को नोटिस जारी करने के निर्देश आदेशिका पर दिये। जिस पर दिनांक 1.3.88 को रेस्पो0 चुनी व कुशालाराम की ओर से वकील उपस्थित बताऐ तथा उनके द्वारा जवाब पेश हुए समय चाहा, उसके पश्चात पत्रावली जबाव व जवाब दावा पेश किये जाने हेतु दिनांक 19.9.1989 तक विचाराधीन रही।

उक्त पत्रावली लम्बे समय तक बिना किसी कारण दर्शाये लम्बित पडी रही। दिनांक 29.6.2012 को पुनः तारीख पेशी में यह अंकित करते हुए ली गई कि "अन्तिम आदेशिका दिनांक 19.9.89 को पेश हुई जिसमें तहसीलदार दौरे पर होने से मिसल दिनांक 15.11.89 पेश हुई। आदेशिका लिखी गई। उसके बाद बिना किसी कारण से बन्द है। अतः आज्ञा हो तो पत्रावली पुनः पेशी पर ली जाकर कार्यवाही शुरू की जावें।" लम्बे समय तक प्रकरण को बिना किसी सक्षम आदेश के लम्बित क्यों रखा गया, इसका भी कोई उल्लेख/आदेश पत्रावली पर नहीं है। उक्त

अति० उपखण्ड अधिकारी
फलौदी

पत्रावली पुनः तारीख पेशी पर ली जाने के निर्देश दिये गये। उसके पश्चात दिनांक 24.11.2015 को लिखी गई आदेशिका में ''पत्रावली प्रस्तुत हुई। पक्षकारान को आवाज लगाई गई। प्रार्थीयों की तरफ से वकील रेवन्त सिंह उपस्थित। अप्रार्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं। प्रार्थीयान के वकील को सुना गया व पत्रावली का निर्णय किया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर निर्णय अलग से लिखा जावे व पत्रावली को नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो।'' अंकित किया गया है। उक्त आदेशिका से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रकिया अपनाते हुए ज्यूडिसियल माईन्ड का उपयोग नहीं किया और न ही प्रकरण में विधि अनुसार न्याय किये जाने, न्याय प्रदान दिये जाने की कोशिश की गई है। क्योंकि प्रकरण में लम्बे समय तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं किया जाना और पुनः कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने पर संस्थित पक्षकारान को अपना पक्ष रखने हेतु/सुनवाई हेतु अवसर नहीं दिया जाना पाया है। जिससे उक्त प्रकरण की न्यायिक प्रकिया ही दूषित रही है।

इसके अतिरिक्त प्रकरण के इतने लम्बे समय तक बिना किसी आदेश के विचारण रहने के दौरान वादग्रस्त भूमि में हुए बदलाव, राजस्व रेकर्ड में हुए बदलाव एवं कई सहखातेदार/पक्षकारान का देहान्त होना भी ज्ञात हुआ है। जिनके सम्बन्ध में रेकर्ड पर कोई सूचना नहीं है। प्रकरण को पुनः सुनवाई पर लिये जाने के पश्चात हितबद्ध पक्षकारान को जो नोटिस जारी किये गये थे, उनका पत्रावली में रखी प्रति का अवलोकन किया जिससे यह प्रकट होता है कि उक्त नोटिस विधिवत प्रकिया के तहत तामीली नहीं करवाये गये, पक्षकारान के रिश्तेदारों से, मकान पर चस्पा किये अंकित कर पेश किये गये और नोटिस तामील की दिनांक भी अंकित नहीं पाई गई, ऐसे में तामीली प्रकिया भी संदेहास्पद व दूषित प्रतीत होती है।

ऐसे में सक्षम स्तर से पुनः आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही कर आदेश प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार द्वारा नये सिरे से प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की जानी चाहिये थी जबकि 23 वर्षो के बाद यकायक की गई कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाती है।

वादग्रस्त भूमि का श्रीमती चुनी के द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के बेचान किये जाने पर बेचान दस्तावेज के अनुसार केतागण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गये थे, उन स्वीकृत नामान्तरकरण एवं राजस्व रेकर्ड में अंकित इन्द्राजों के सम्बन्ध में भी अपीलाधीन आदेश में कोई विवेचन नहीं किया है। उक्त पंजीबद्ध दस्तावेजों को जब तक सक्षम न्यायालय के द्वारा विधिक प्रकिया के तहत उनको प्रभावहीन नहीं किया जाता तब तक उनमें अंकित भूमि का बेचान निरस्त

नहीं माना जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से वादग्रस्त भूमि का खातेदार धना के उत्तराधिकारियों एवं क्रेताओं के हिस्सों का बटटा कर वर्गीकरण किया गया है उसे विधि अनुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

वर्तमान अपीलान्टस की ओर से यह भी कथन किया है कि उनके द्वारा तहसीलदार न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया था कि मृतक खातेदार धनाराम की पुत्रियों की शादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व हो गई और चल सम्पति दे दी गई थी, वर्तमान में उनका भूमि पर कोई हक–कब्जा नहीं है। श्रीमती चुनी उनकी माता के द्वारा किये गये बेचानों से वह पाबन्द थी।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम(संशोधित), 2005 की धारा 6 के सब सेक्शन 1(C) अनुसारः–

"Provived that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate ayd disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004."

उपरोक्त समस्त घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में, अपील में हुई बहस पर मनन करने, उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने एवं यथोचित न्याय किये जाने की मंशा के अनुरूप हमारे विनम्र में अपीलान्टस की इस प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2015 विधि विपरित होने, एकपक्षीय पक्षीय प्रतीत होने, राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति के विपरित पारित होने, से बहाल रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्टस की यह प्रथम अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2015 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर